राज्य वित्त: प्रवृत्तियां और चिंताएं

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्न पत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**तृतीय प्रश्न पत्र :** आर्थिक मुद्दे

संदर्भ

- किसी राज्य और उसके लोगों के समग्र विकास के लिए एक विवेकपूर्ण वित्तीय स्थिति का होना आवश्यक है। यद्यपि, कई हालिया अध्ययनों ने भारत में कई राज्यों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति की ओर संकेत किया है।
- विदित है कि यह स्थिति राज्य के वित्त पर कोविड-19 के प्रभाव, उच्च राजस्व व्यय और प्रचलित निःशुल्क उपहार की संस्कृति जैसे कई कारकों का परिणाम है।
- फलतः अन्य कदमों के साथ एक विवेकपूर्ण व्यय तंत्र बनाने की आवश्यकता 'समय की मांग' है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्यों का राजकोषीय घाटा अस्थिर स्तर तक न पहुंच जाए।

राज्य के वित्त की वर्तमान स्थिति

आरबीआई के एक अध्ययन के अनुसार, 10 राज्यों पर काफी अधिक कर्ज का बोझ।

ये 10 राज्य भारत में सभी राज्य सरकारों के कुल खर्च का लगभग आधा हिस्सा हैं।

राज्यों का संचयी ऋण 2018-19 में 19.1% से बढ़कर 2021-22 में 25.1% हो गया है।

पंजाब, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और हरियाणा

आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब 15वें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 2020-21 के लिए ऋण और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य से ऊपर

ऋण-जीएसडीपी अनुपात अनुमान

- पंजाब का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 2026-27 में 45% से अधिक होने का अनुमान है।
- राजस्थान, केरल और पश्चिम बंगाल के 2026-27 तक ऋण-जीएसडीपी अनुपात 35% से अधिक होने की संभावना व्यक्त की जा रही है।

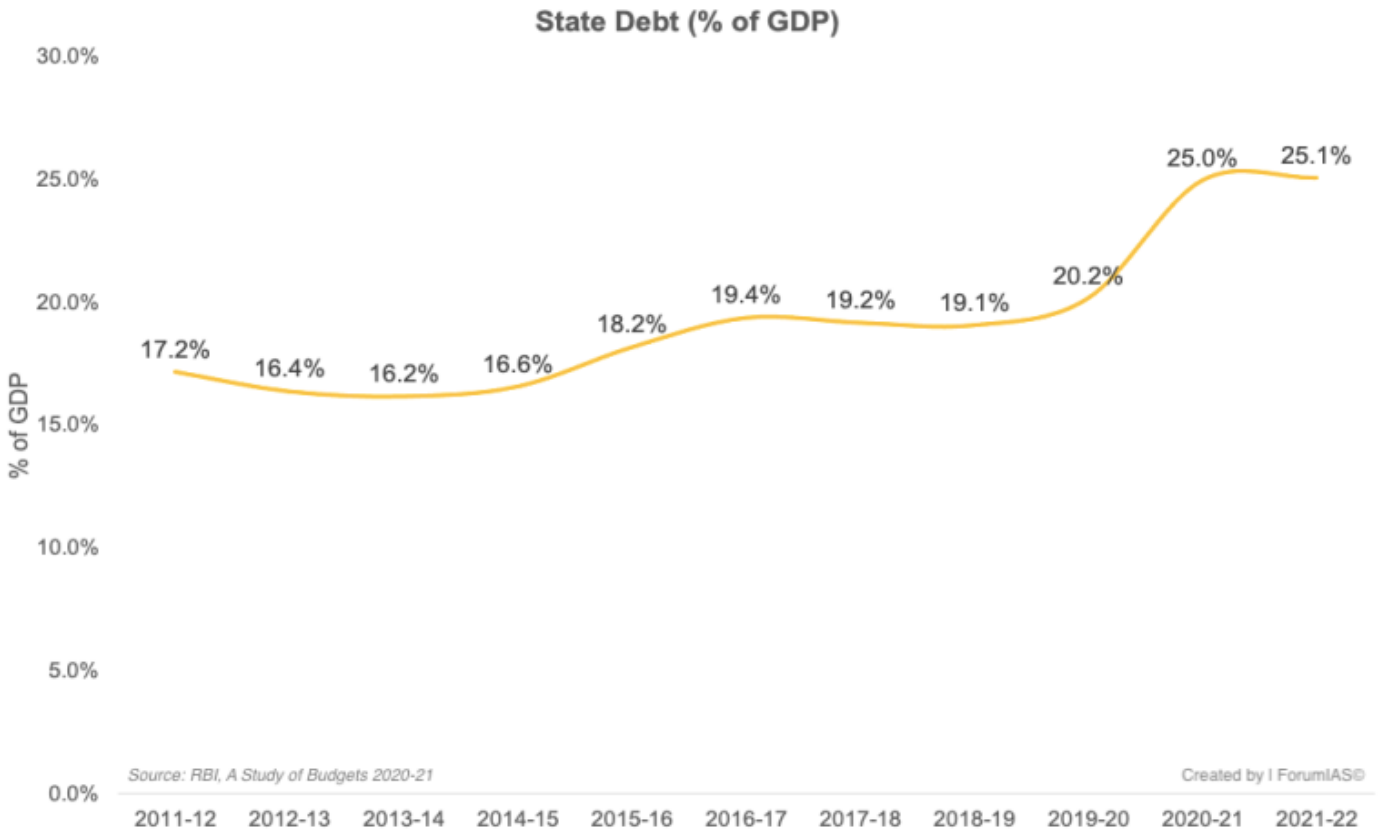

विभिन्न राज्यों में वित्तीय गिरावट के लिए जिम्मेदार कारण

- कोविड-19 महामारी का प्रभाव
  - महामारी से पहले, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के लिए औसत सकल राजकोषीय घाटा (जीएफडी) अनुपात 2.5% था, हालांकि कुछ राज्यों में राजकोषीय घाटा 3.5% से अधिक था।
  - महामारी के कारण सरकारी वित्त काफी अधिक प्रभावित हुआ है। महामारी के दौरान राज्य का राजस्व प्रभावित हुआ।
  - इसके बावजूद, राज्यों ने लगातार चिकित्सा देखभाल प्रदान की और आबादी के कमजोर वर्गों का समर्थन किया।

- कोविड-19 के प्रभाव के कारण, सभी राज्य सरकारों की संचयी राजस्व प्राप्ति INR 25.47 लाख करोड़ (2018-19) से गिरकर INR 25.22 लाख करोड़ (2020-21) हो गई।
- विदित है कि इसी अवधि में राजस्व व्यय 25.75 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 28.88 लाख करोड़ रुपये हो गया। राजकोषीय घाटा जीडीपी के 2.5% से बढ़कर जीडीपी के 4.1% हो गया।

- घटता कर राजस्व

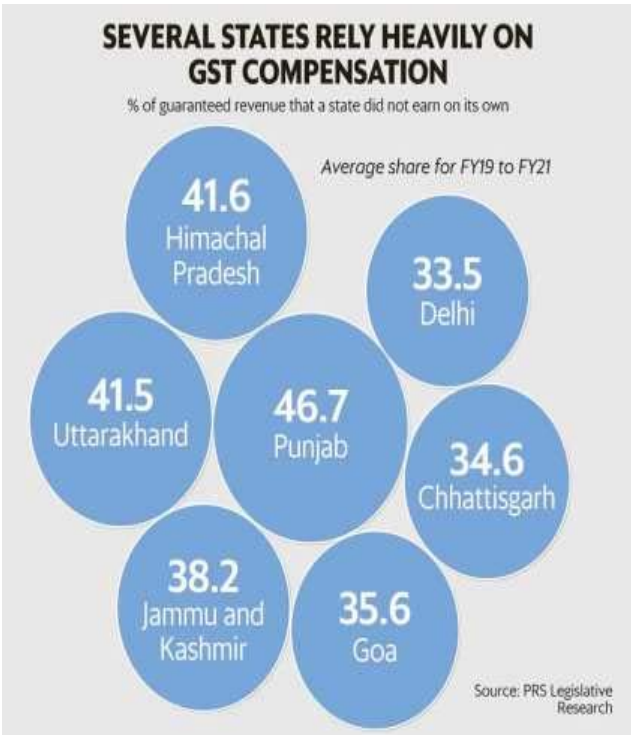

- मध्य प्रदेश, पंजाब और केरल जैसे कुछ राज्यों के स्वयं के कर राजस्व में समय के साथ गिरावट आई है, जिससे वे वित्तीय रूप से अधिक कमजोर हो गए हैं।
- इसके अलावा, अगर जुलाई 2022 से जीएसटी मुआवजे को रोक दिया जाता है, तो राजस्व में तेजी से गिरावट आ सकती है, उदाहरण के लिए, पंजाब के गारंटीकृत राजस्व का महत्वपूर्ण हिस्सा मुआवजे का उपयोग करके पूरा किया गया (2018-19 में 37%), 2019-20 में 47% और 2020-21 में 56%)।

- उच्च राजस्व व्यय
  - इन राज्यों के कुल व्यय में राजस्व व्यय का हिस्सा 80-90% की सीमा में भिन्न होता है। इसका परिणाम खराब व्यय गुणवत्ता में होता है, जैसा कि पूंजीगत परिव्यय अनुपात में उनके उच्च राजस्व व्यय में परिलक्षित होता है।

- महत्वपूर्ण प्रतिबद्ध व्यय
  - इनमें से कुछ राज्यों में कुल राजस्व व्यय के एक महत्वपूर्ण हिस्से (35% से अधिक) के लिए ब्याज भुगतान (ऋण पर), पेंशन और प्रशासनिक व्यय जैसे प्रतिबद्ध व्यय खाते हैं।
  - कुछ राज्यों के लिए, ब्याज भुगतान हरियाणा (23%), पंजाब (21%), तमिलनाडु (21%) जैसे सरकार की राजस्व प्राप्तियों के 20% से अधिक है।
  - यह राज्य के वित्त को बाधित करता है।

- उच्च डिस्कोम हानियाँ
    - पाँच सबसे अधिक ऋणग्रस्त राज्यों (बिहार, केरल, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल) में डिस्कोम संयुक्त नुकसान, 2019-20 में कुल डिस्कोम के नुकसान का 24.7% था, जबकि उनका संयुक्त दीर्घकालिक ऋण 2019-20 में कुल डिस्कोम ऋण का 22.9% था।
    - वहीं 2014-15 से 2015-16 के बीच संचयी ऋण में 16% से 18% तक अचानक उछाल राज्यों द्वारा डिस्कोम के ऋणों को ग्रहण करने के कारण था।
- निःशुल्क उपहार की संस्कृति
    - मुफ्त बिजली और पानी, लैपटॉप, साइकिल आदि का चुनाव पूर्व वादा करने में राजनीतिक दलों के मध्य तीव्र प्रतिस्पर्धा है।
    - निःशुल्क उपहार के कारण राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है।
- कानून में व्याप्त कमियाँ:
    - मौजूदा एफआरबीएम प्रावधानों में कहा गया है कि सरकारें अपनी आकस्मिक देनदारियों को सार्वजनिक करें, लेकिन यह खुलासा उन देनदारियों तक ही सीमित है, जिनके लिए उन्होंने एक स्पष्ट गारंटी दी है।
    - वास्तव में, राज्य सरकारें अपने लोकलुभावन उपायों को वित्त पोषित करने के लिए अतिरिक्त बजटीय उधार का सहारा लेती हैं।
    - यह कर्ज एफआरबीएम लक्ष्यों को दरकिनार करने के लिए छुपाया गया है। इसके अलावा, इस ऑफ-बजट ऋण के आकार का आकलन करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में कोई व्यापक जानकारी नहीं है।

आरबीआई द्वारा राज्य सरकार के वित्त के संदर्भ में उजागर किए गए जोखिम

- आरबीआई के अध्ययन ने राज्य सरकार के वित्त के लिए कई जोखिमों को रेखांकित किया है।
- आरबीआई के अनुमानों से ज्ञात होता है कि 2026-27 तक अधिकांश राज्यों का ऋण-जीएसडीपी अनुपात 30% से अधिक होगा। ये जोखिम हैं:
    - वितरण के लिए बढ़ती प्राथमिकता
    - कुछ राज्यों का पुरानी पेंशन योजना में वापस आना भी चिंता का विषय

- राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों और बिजली वितरण कंपनियों के बढ़ते कर्ज के लिए दी गई गारंटी
- अनुमानों के अनुसार, राज्य सरकारों की ऑफ-बजट ऋण जीडीपी के लगभग 4.5% तक बढ़ गई है
- मुआवजा व्यवस्था का अंत वस्तु एवं सेवा कर के तहत राज्यों की वित्तीय स्थिति और कमजोर होगी

राज्य के वित्त की खराब स्थिति के निहितार्थ

- राजकोषीय लापरवाही का प्रभाव व्यापक हो सकता है। इसका भारत की व्यापक आर्थिक स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- ध्यातव्य है कि जितना अधिक राज्य हस्तांतरण भुगतान पर व्यय करते हैं, उतना ही कम उनके पास भौतिक बुनियादी ढांचे और सामाजिक बुनियादी ढांचे पर खर्च करने के लिए होता है, जो विकास में सुधार और रोजगार पैदा करने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- इससे कर्ज के बोझ में वृद्धि होगी, जो अंततः भविष्य में फंस सकता है।
- अध्ययन के अनुसार, कुछ राज्य श्रीलंका जैसे कर्ज के जाल में फंस सकते हैं।
- यह केंद्र की वित्तीय स्थिति को खराब कर सकता है, जिन्हें राज्यों को रियायती ऋण देना पड़ सकता है और उनके बाहरी दायित्वों का भुगतान करना पड़ सकता है।

राज्यों के वित्त में सुधार के लिए उठाए जा रहे कदम

- निर्धारित लक्ष्यों / उद्देश्यों के खिलाफ प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रदर्शन बजट की एक प्रणाली शुरू की गई थी। हालांकि, यह वित्तीय बजट और प्रदर्शन के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित करने में सक्षम नहीं था।
- आउटकम बजटिंग को 2006-07 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें यह भी माना गया था कि परिव्यय का आशय परिणाम नहीं होता है।
- 2009 में आरबीआई ने एक रूपरेखा का सुझाव दिया गया था। यह अध्ययन व्यय की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए एक "ट्रिपल ई फ्रेमवर्क" का प्रस्ताव करता है, जिसमें व्यय पर्याप्तता, प्रभावशीलता और दक्षता के घटक हैं:

- व्यय पर्याप्तता सरकार के प्राथमिक पर ध्यान केंद्रित करने के संदर्भ में भूमिका
- प्रभावशीलता प्रदर्शन का आकलन करने के संदर्भ में
- दक्षता में आउटपुट-इनपुट अनुपात का आकलन शामिल

राज्य के वित्त में सुधार के लिए आरबीआई द्वारा की गई संस्तुतियाँ

- निकट अवधि में, राज्य सरकारों को गैर-योग्य वस्तुओं पर व्यय में कटौती करके अपने राजस्व व्यय को सीमित करना चाहिए।
- मध्यम अवधि में, राज्यों को ऋण स्तरों को स्थिर करने की दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है।
- दीर्घावधि में, राज्यों को कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे लंबी अवधि की संपत्ति बनाने, राजस्व उत्पन्न करने और परिचालन दक्षता को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी।
- इसके अलावा, राज्यों को घाटे को कम करने और उन्हें वित्तीय रूप से टिकाऊ और परिचालन रूप से कुशल बनाने के लिए बिजली वितरण क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सुधार करने की भी आवश्यकता है।
- साथ ही, राज्य सरकारों को प्रावधानीकरण और अन्य विशिष्ट जोखिम शमन रणनीतियों को स्थापित करने में सक्षम होने के लिए नियमित रूप से राजकोषीय जोखिम विश्लेषण और तनाव परीक्षण करने की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

- एफआरबीएम अधिनियमों में संशोधन करके सरकार की सभी देनदारियों को कवर करने के लिए इसके प्रावधानों का विस्तार किया जाना चाहिए।
- वर्तमान में, राज्यों को संविधान के तहत उधार लेने पर केंद्र सरकार की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है। फलतः केंद्र सरकार को अनुमति देते समय पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए।
- अनावश्यक निःशुल्क उपहार की संस्कृति के उन्मूलन के लिए जनता में एक दृष्टिकोण परिवर्तन की आवश्यकता है। जनता को निःशुल्क उपहार देने के बजाय प्रदर्शन और विकास के परिणामों के आधार पर सरकारों के मध्य चुनाव होना चाहिए।

- यह देखते हुए कि सामान्य सरकारी ऋण तेजी से बढ़ा है, भारत को एक समग्र मध्यम अवधि के समेकन रोडमैप की आवश्यकता है।
- कुछ बड़े राज्यों में ऋण का एक अस्थिर स्तर न केवल विकास संभावनाओं को प्रभावित करेगा, बल्कि व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम भी पैदा कर सकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस, बिज़नेस स्टैंडर्ड